


विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा
देय पेंशन का प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी का नाम, न0 तथा रैंक.....
2. पिता/पति का नाम
3. यूनिट वर्तमान रिकार्ड कार्यालय.....
4. भर्ती की तिथि
5. डिस्चार्ज की तिथि व कारण.....
(डिस्चार्ज प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें)
6. जन्म तिथि
7. प्रार्थी का पूरा पता (स्थाई)
8. यदि प्रार्थी को केन्द्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त हो रही है तो उसका विवरण.....
9. उत्तराखण्ड में निवास करने की अवधि.....
10. प्रार्थी का डाकघर वचत खाता संख्या.....



शपथ पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना पूर्णतः सत्य है। असत्य पाये जाने की स्थिति में, मेरी पेंशन तुरन्त बन्द हो जाने के साथ-साथ मेरे द्वारा अब तक ली गई धनराशि सरकार को वापस करने के लिये मैं वाध्य हूँगा/हूँगी।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जांच :

प्रार्थी के सभी संबंधित अभिलेखों की जांच के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि वह पेंशन पाने का पात्र है। तदनुसार मैं इनकी पेंशन स्वीकृत करने की संस्तुति करता हूँ।

स्वीकृत/अस्वीकृत

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास